प्रेस नोट
दिनाकं 22.02.2024
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा केंन्द्र का निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा हाईस्कूल/इंटरमीडिएट की चल रही परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया-

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये-

आज दिनांक 22.02.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील होकर लिखित परीक्षा केन्द्र सरजू प्रसाद मैमोरियल इंटर कालेज गोण्डा का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान परीक्षा कक्ष, सी0सी0टी0वी0 कैमरो व सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया । परीक्षा केन्द्रों पर लगे मजिस्ट्रेट, स्कूल के प्रधानाचार्य व पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण से वार्ता कर परीक्षा को सुचारू रूप से निर्विवाद, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.02.2024, थाना खरगूपुर
जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-045/2024, धारा 354, 345(घ), 504, 506, 500 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त किशन पुत्र नानबाबू निवासी पचरन पृथ्वीनाथ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना खरगूपुर पर सूचना दिया कि विपक्षी मेंरे गाँव का रहने वाला है पिछले कई महीनों मेरा पीछा करता था और मेंरे साथ छेड़छाड़ भी करता था जिसका फोटो खीचकर मोबाइल में रख लिया था मेरी शादी 18.02.2024 को होने थी विपक्षी द्वारा उक्त फोटो मेंरे होने वाले ससुराल वालो को भेज दिया जिससे मेरी शादी रूक गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0सं0-045/2024, धारा 354, 345(घ), 504, 506, 500 भादवि बनाम किशन आदि 03 नफर अभियुक्तो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 22.02.2024 को थाना खरगूपुर की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त किशन पुत्र नानबाबू निवासी पचरन पृथ्वीनाथ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पुलिस के अथक प्रयास से उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. किशन पुत्र नानबाबू निवासी पचरन पृथ्वीनाथ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-045/2024, धारा 354, 345(घ), 504, 506, 500 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संतोष कुमार पाण्डेय
02. हे0का0 राजकिशोर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.02.2024, थाना कटराबाजार
जनपद गोण्डा।

थाना कटराबाजार क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-589/2023 धारा 363, 366, 504, 506, 352, 376(3), भादवि व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त दद्दन पुत्र सलीम निवासी मंगरे पुरवा मौजा जयरामजोत थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार पुलिस के अथक प्रयास से दुबहा मोड़ तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना कटराबाजार पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक पुत्री को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में मु0अ0सं0-589/2023 धारा 363, 366, 504, 506, 352 भादवि बनाम मोनू नट के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 22.02.2024 को थाना कटराबाजार की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्त दद्दन पुत्र सलीम निवासी मंगरे पुरवा मौजा जयरामजोत थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा को दुबहा मोड़ तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दद्दन पुत्र सलीम निवासी मंगरे पुरवा मौजा जयरामजोत थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-589/2023 धारा 363, 366, 504, 506, 352, 376(3), भादवि व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संतोष सिंह
02. का0 अनिल सिंह
03. म0का0 पूरजा कुशवाहा
04. म0का0 फूलमती

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.02.2024

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-14 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना को0मनकापुर पुलिस ने 02, थाना करनैलगंज पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.02.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में समस्त थानों पर फ्री लीगल-एड (निःशुल्क विधिक सहायत) पोस्टर लांचिंग/अनावरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन -

आज दिनांक 22.02.2024 को "World Social Justice Day" के उपलक्ष्य में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ द्वारा फ्री लीगल एड (निःशुल्क विधिक सहायता) पोस्टर लांच/अनावरण किया गया है। इसी क्रम में आज दिनाँक 22.02.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में समस्त थानों पर फ्री लीगल-एड (निःशुल्क विधिक सहायत) पोस्टर लांचिंग/अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों के महिला हेल्प-डेस्क में भी फ्री लीगल एड (निःशुल्क विधिक सहायता) पोस्टर चस्पा किये गये । जिससे पीडित महिलाओं/बालिकाओं व बच्चों के द्वारा किसी भी प्रकार के अपराध में नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित विधि परामर्शदाताओं से संपर्क किया जा सकता है।